



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404
Website- psc.uk.gov.in

पत्रांक : 108/46/ई-1/डी0आर0(पी0सी0एस0)/2020-21

दिनांक : 26 जून, 2024

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021'

अनर्ह-सूची

एतद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनांक 10 अगस्त, 2021, अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि-पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2022 के सापेक्ष दिनांक 23 से 26 फरवरी, 2023 तक सम्पन्न मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञाप्ति संख्या : 186/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 27 फरवरी 2024 तथा विज्ञाप्ति संख्या : 01/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा घोषित किया गया है।

उक्त परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 18 से 22 मार्च, 2024 तक एवं 22 अप्रैल, 2024 को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित किया गया था। उक्त अभिलेख सत्यापन एवं सन्निरीक्षा टीप के क्रम में मा0 आयोग द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारण से अनर्ह घोषित किया गया है :–

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण
1	301349	SWATI AGGARWAL	विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन में विज्ञापित बाल विकास परियोजना अधिकारी पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त न करने के कारण पद कोड-25 बाल विकास परियोजना अधिकारी पद हेतु अनर्ह किया गया है।
2	302015	SUSHIL KUMAR	विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन में विज्ञापित बाल विकास परियोजना अधिकारी पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान विषय में

9	287746	ANUJ KUMAR	विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त परामर्श के अनुक्रम में अभ्यर्थी द्वारा स्नातक उपाधि में हिन्दी विषय का अध्ययन तीनों वर्षों में न करने के कारण अभ्यर्थी पद कोड –27 फीचर लेखक पद हेतु अनर्ह किया गया है।
10	236927	PRADEEP SINGH KANDARI	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप उपाधि धारित न करने के कारण पद कोड 22 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी पद के सापेक्ष अनर्ह किया गया है।
11	249631	VINEET KUMAR	आयोग कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.05.2024 के अनुक्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित मूल अभिलेख सहित आयोग कार्यालय में नियत समय तक उपस्थित न होने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।

उक्तानुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थी दिनांक **03 जुलाई, 2024 (बुधवार)** तक अपना प्रत्यावेदन डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस—सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक अनुभाग के काउन्टर पर जमा करा सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर मात्र आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आयोग कार्यालय द्वारा जारी अनर्ह सूची के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन के क्रम में मात्र आयोग द्वारा यदि उन्हें अर्ह किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 10.07.2024 को आयोजित किया जायेगा।

Sd/-
(जी०एस० रावत)
सचिव।